अपील संख्या 2017/00208, उनवान हरदेव वगैरह बनाम हनुमान प्रसाद वगैरह , आदेश दिनांक 31.01.2018

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. हेतु पेश हुयी। वकील अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस (प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता) ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उक्त अपील में पारित स्थगन आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्धारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र में पारित एक पक्षीय रिसीवर नियुक्त आदेश मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ने निगरानी/2017/ 6584 को दिनांक 23.11. 2017 को आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 27.07.2017 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष लंबित अपील संख्या 208/2017 हरदेव बनाम हनुमान को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया हैं कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर दोनो पक्षों को सुनने के उपरान्त विधि अनुरूप आदेश पारित करने के आदेश दिये हैं। मान्नीय मण्डल के उक्त आदेश से अपील सारहीन हो चुकी हैं इसलिए अपील को खारिज किया जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपील सारहीन हो चुकी हैं।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत आदेश की प्रति व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मान्नीय राजस्व मण्डल राज. ,अजमेर ने निगरानी/2017/ 6584 को दिनांक 23.11.2017 को आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 27.07.2017 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष लंबित अपील संख्या 208/2017 हरदेव बनाम हनुमान को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया हैं कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर दोनो पक्षों को सुनने के उपरान्त विधि अनुरूप आदेश पारित करने के आदेश दिये हैं जिससे अपील सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज किया जाना उचित समझते हैं। **अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**